भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3853
उत्तर देने की तारीख 18 दिसम्बर, 2024

कॉल ड्रॉप और बाधित डेटा सेवाओं का मुद्दा

3853. श्री टी. आर. बालूः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत में उपभोक्ता अभी भी वॉयस कॉल ड्रॉप और बाधित डाटा सेवाओं जैसे बुनियादी नेटवर्क संबंधी मुद्दों से जूझ रहे हैं और अपर्याप्त ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार समग्र अर्थव्यवस्था पर ब्रॉडबैंड सेवाओं के व्यापक प्रभाव के दृष्टिगत 5जी स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य की समीक्षा करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्रकाशित सितंबर-2024 को समाप्त तिमाही के सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, केरल और उत्तर-पूर्व लाइसेंस सेवा क्षेत्र में बीएसएनएल को छोड़कर सभी सेवा प्रदाता सेलुलर सेवाओं के नेटवर्क संबंधी सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के सभी पैरामीटरों के बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं।

इसके अलावा, देश में पिछले कुछ वर्षों से ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना में सुधार हो रहा है। वर्तमान में देश भर में 41.91 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है।

(ख) देश में नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

i. दूरसंचार सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मापदंडों के लिए ट्राई द्वारा हाल ही में सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्कों को संशोधित किया गया है।

ii. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन करना।

iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और स्पेक्ट्रम को वापस करने की अनुमति दी गई है।

iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण करना।

v. दूरसंचार राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम को अधिसूचित किया गया और पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल को शुरू करके आरओडब्ल्यू अनुमतियों और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए शीघ्र मंजूरी को सुव्यवस्थित किया गया है।

vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करने के लिए समयबद्ध अनुमति प्रदान करने हेतु आरओडब्ल्यू नियम में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य तथा अन्य निबंधन और शर्तों की सिफारिश ट्राई द्वारा की जाती है। हितधारकों से परामर्श करने के बाद, ट्राई विभिन्न अर्थमितीय मॉडल अपनाता है तथा विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में विभिन्न बैंडों के आरक्षित मूल्यों की अनुशंसा करने के लिए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करता है। तदनुसार, प्रत्येक स्पेक्ट्रम नीलामी के आयोजन से पहले सरकार द्वारा इन अनुशंसित आरक्षित मूल्यों को अंतिम रूप दिया जाता है।

*****